"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429] रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 अगस्त 2014— श्रावण 11, शक 1936

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-37/2011/चौबीस.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची- एक के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"**टीप**- सहायक संचालक जनसम्पर्क के सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में से 5 पदों की सहायक संचालक (अंग्रेजी माध्यम) हेतु आरक्षित रखा जायेगा."

2. अनुसूची- दो के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"**टीप**- सरल क्रमांक 04 के कॉलम (5) में उल्लिखित 50% पदों में से 5 पदों को सहायक संचालक (अंग्रेजी माध्यम) से भरा जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 1-37/2011/चौबीस.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 अगस्त, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव.

Naya Raipur, the 2nd August 2014

NOTIFICATION

No. F 1-37/2014/XXIV.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Relations (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. Below Schedule-I, the following shall be added, namely :-

   "**Note-** 5 posts out of the posts to be filled by the direct recruitment of Assistant Director Public Relations, shall be reserved for Assistant Director (English Medium)."

2. Below Schedule-II, the following shall be added, namely :-

   "**Note-** 5 posts out of the 50% posts mentioned in column (5) of serial number 04 shall be filled by Assistant Director (English Medium)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMITABH JAIN, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.